



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122020-223504
CG-DL-E-04122020-223504

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3841]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2020/अग्रहायण 13, 1942

No. 3841]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2020/AGRAHAYANA 13, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

(चमड़ा और फुटवेयर अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4379(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक अथवा समीचीन है, अतः एतद्वारा चमड़े और अन्य सामग्री से निर्मित फुटवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चमड़े और अन्य सामग्री से निर्मित फुटवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. चमड़े और अन्य सामग्री से निर्मित फुटवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में पैरा 1 के उप-पैरा (2) को निम्नलिखित उप-पैरा से प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“(2) यह आदेश दिनांक 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी होगा”।

[फा. सं. पी-27025/4/2020-चमड़ा]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

नोट : प्रमुख आदेश का.आ. 3860(अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 के जरिये भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) के तहत दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 को प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
(LEATHER AND FOOTWEAR SECTION)

ORDER

New Delhi, the 4th December, 2020

S.O. 4379(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Footwear made from Leather and other materials (Quality Control) Order, 2020, namely:-

1. **Short title, commencement.** – (1) This Order may be called the Footwear made from Leather and other materials (Quality Control) Amendment Order, 2020.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Footwear made from Leather and other materials (Quality Control) Order, 2020, in Paragraph 1, for Sub-Paragraph (2), the following Sub-Paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) It shall come into force with effect from 1st July, 2021”.

[F. No. P-27025/4/2020-Leather]

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary under Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 28th October, 2020 *vide* number S.O. 3860(E), dated 27th October, 2020.